न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/212/2016

उनवान

1. श्रीमती सुगना पत्नी मोडीराम भाम्भी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2. सत्यनारायण पिता मोडीराम भाम्भी निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 157/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2016

अधिवक्तागण :—

1. श्री एम एल सेन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 31.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित वर्तमान कृषि भूमि आराजी नम्बर 3937/1967 रकबा 2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बीघा वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होकर वादीगण के कब्जेकाश्त में है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 1292 रकबा 2 बीघा भूमि थे। जो दिनांक 18.6.1970 को वादिया संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 के पिता मोडीराम जी के नाम पर आवंटित की गई थी। जिसका इन्तकाल संख्या 50 खोला जाकर आराजी नम्बर 1292/10 बटा नम्बर डालते हुए जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में खोला गया । संवत 2028 से 2030 के दौरान भू प्रबन्ध कार्यवाही हुई। जिससे आराजी नम्बर 1292/10 रकबे का खसरा भी नहीं बनाया गया व इसके नवीन आराजी नम्बर 3937/1967 रकबा 2 बीघा राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया । जबकि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः वादग्रस्त हाल आराजी 3937/1967 रकबा 2 बीघा का वादीगण को राजस्व रेकार्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण की उपस्थिति में पारित नहीं किया गया था। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो पाई । अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त की तब जाकर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई थी। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य, रेकार्ड व दस्तावेज का अवलोकन व विश्लेषण किये बिना, रेकार्ड को नजरअंदाज कर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत शिविर में पारित किया गया है , जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार माना गया है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई रेकार्ड, दस्तावेज उपलब्ध नहीं था जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत उक्त आवंटन को निरस्त किया या हो व इस तरह का कोई निर्णय हुआ हो। पटवारी हल्का ने मनमकसूद तरीके से बिना किसी रेकार्ड के ही यह रिपोर्ट अंकित कर दी कि उक्त भूमि की आवंटी द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आवंटन को निरस्त कर दिया गया है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण कायमी तनकियात चल रहा था ऐसी स्थिति में तनकियात व साक्ष्य हेतु तारीख पेशी नियत करनी चाहिये थी एवं वादीगण को सुना जाना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं होने से भू प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त आराजी को बिलानाम सरकार दर्ज किया गया है। उस समय अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। वादग्रस्त आराजी पर यदि अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त होता तो उनके विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती। अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जाकश्त रहा हो इस बाबत कोई राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद माना जाता है।

10. अपीलार्थीगण का यह निवेदन है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 10.6.2011 को संस्थित किया गया । उपरान्त प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण कायमी तनकियात हेतु नियत किया गया । उसके उपरान्त अपीलाधीन मामले में दिनांक 20.11.2012 के उपरान्त लगातार तारीख पेशियॉ बदली जाती रही और दिनांक 24.2.2016 को आगामी पेशी दिनांक 11.5.2016 नियत की गई परन्तु दिनांक 11.5.2016 की कोई आदेशिका फर्द अहकाम पर नहीं लिखी गई एवं उसके उपरान्त प्रकरण को कोर्ट केम्प मंगरोप में दिनांक 6. 6.206 को नियत किया गया। उक्त दिनांक 6.6.2016 को प्रकरण में पक्षकारान की उपस्थिति भी दर्ज नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तनकियात कायमी में लंबित था। उक्त प्रकरण को दिनांक 6.6.2016 लोक अदालत कैम्प में रखा गया । राजस्व लोक अदालत केम्प में प्रकरण को राजीनामा, सदभाव व मेलजोल से निर्णित करने हेतु रखा जाता हैं । जबकि अपीलाधीन मामले में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 6.6.2016 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । जिसमे पटवारी हल्का ने अंकित किया " वादी श्रीमती सुगना के पति, वादी सत्यनारायण के पिता मोडीराम को साबिक आराजी नम्बर 1292 मीन हाल आराजी नम्बर 3937/1967 रकबा 2 बीघा का सन् 1970 में आवंटन हुआ था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन 14 (4) की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया । वर्तमान में उक्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। " इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है।

11. चूंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में मूल वाद में पक्षकारों के हक हितों का साक्ष्य,दस्तावेजात, रेकार्ड का अवलोकन कर अंतिम तौर पर निस्तारण वांछित होता है। अपीलाधीन मामले में प्रकरण प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त कायमी तनकियात में लंबित था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत दावा, जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम करने के उपरान्त पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलाधीन मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण/वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर " आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से आवंटन 14 (4) की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया ।" अंकन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण के विरूद्ध कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14 (4) के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने संबंधी कोई रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 9.6.2015 जो कि गिरदावर मंगरोप द्वारा बनाई गई है, का भी अवलोकन किया गया । जिसमें विवादित आराजी नम्बर 3937/1967 कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा होकर 10 बिस्वा अन्य काश्तकार के नाम होना व शेष पर प्रार्थीगण का कब्जा व 0.05 बिस्वा पर रास्ता बना होना बताया है। नक्शा भी साथ में संलग्न किया है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण की आवश्यकता थी। पारित निर्णय भी स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता । यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रकरण में 14 (4) आवंटन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कब हुई ? नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण/वादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 12.10.18 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा